बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या– पी0आर0– 213/2020

इंटरमीडिएट 11वीं कक्षा में सत्र 2019–2021 के लिए विधिवत् नामांकित नियमित तथा स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्राएँ, जो सूचीकरण कराने से वंचित हैं, उनका ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने तथा

(ii) जिन छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन सूचीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है तथा निर्गत सूचीकरण प्रमाण पत्र में त्रुटि रह गई है के ऑनलाइन संशोधन के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट/+2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान, संबंधित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0) एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 201/2020 के क्रम में सूचित किया जाता है कि **इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र–2019–2021** में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं का महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों में विधिवत् 11वीं कक्षा में नामांकित नियमित तथा स्वतंत्र कोटि के छात्र–छात्राओं का ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन एवं शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा **दिनांक 04.09.2020 से 10.09.2020 तक की** अवधि में अंतिम रूप से भरा जाना था। परन्तु कोविड–19 महामारी तथा कई जिला में बाढ़ की विभिषिका से उत्पन्न समस्या के कारण अभी भी कई छात्र/छात्रा सूचीकरण आवेदन जमा करने से वंचित रह गये हैं। अतः छात्रहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से सूचीकरण से वंचित छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरे जाने एवं शुल्क **(विलम्ब शुल्क के साथ)** जमा किये जाने हेतु **दिनांक 15.09.2020** तक अवसर प्रदान किया जाता है।

2. विदित हो कि दिनांक 10.09.2020 तक ऑनलाइन भरे गये सूचीकरण आवेदन के आधार पर सभी छात्र/छात्राओं का डमी सूचीकरण प्रमाण पत्र समिति के वेबसाइट http://seniorsecondary.biharboardonline.com पर जारी कर दिया गया है। जिसे डाउनलोड कर छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराते हुए उनका परीक्षा आवेदन एवं शुल्क दिनांक 15.09.2020 तक की अवधि में भरा जाएगा। इसके लिए समिति का पोर्टल खुला रहेगा।

3. ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरे जाने हेतु निर्धारित शुल्क विवरण **(विलम्ब शुल्क के साथ)** निम्नवत है:–

छात्र/छात्रा की कोटि	मद		निर्धारित शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ)
	सूचीकरण आवेदन शुल्क (सभी कोटि के छात्र/छात्राओं के लिए)		50/–
	ऑनलाइन शुल्क		20/–
नियमित कोटि एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए	(i)	सूचीकरण शुल्क	400/–
	(ii)	इमीग्रेशन शुल्क	250/–
स्वतंत्र कोटि के लिए	(i)	सूचीकरण शुल्क	400/–
	(ii)	इमीग्रेशन शुल्क	250/–
	(iii)	अनुमति शुल्क	400/–
नियमित कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क			**470/–**
स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्रा के लिए कुल शुल्क			**870/–**
इमीग्रेशन शुल्क सिर्फ अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वॉं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा के लिये अनुमान्य है। अन्य बोर्ड से 10वॉं उत्तीर्ण छात्र/छात्रा को मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) भी जमा करना अनिवार्य होगा।			
अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण नियमित कोटि के छात्र/छात्राके लिए कुल शुल्क			**720/–**
अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्राके लिए कुल शुल्क			**1120/–**

मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान **दिनांक 15.09.2020** तक छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरना एवं शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा करना सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया एवं छात्र/छात्रा के रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या पी0आर0 191/2020 की कंडिका 4 एव 5 में दिये गये निदेश यथावत रहेंगे।

4. इन्टरमीडिएट कक्षा में छात्र/छात्राओं का नामांकन OFSS के माध्यम से किया जाता है। नामांकन के पश्चात नामांकित सभी छात्र/छात्रा का डाटा System से निकाल कर IT प्रशाखा को उपलब्ध कराया जाता है।

सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि OFSS के माध्यम से नामांकित छात्र/छात्रा का ही ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरा जाय एवं शुल्क जमा किया जाए। OFSS के माध्यम से सत्र 2019–21 में कक्षा 11वीं में नामांकित सभी छात्र/छात्राओं का विवरण समिति के पोर्टल पर उपलब्ध है।

5. यदि किसी भी छात्र/छात्रा, जिसका नामांकन OFSS के माध्यम से नहीं किया गया है, का ऑनलाइन सूचीकरण कराया जाता है तो उसकी पूर्ण जवाबदेही शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी, जिसके लिए उनके विरूद्ध अनुशासनिक एवं वैधानिक कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा की जाएगी।

6. राज्य के वैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जहाँ नामांकन OFSS के माध्यम से नहीं होता हैं, के सूचीकरण से वंचित छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन प्रपत्र भी उक्त अवधि में भरा जा सकता है।

7. ज्ञातव्य हो कि जिन छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन सूचीकरण/अनुमति आवेदन दिनांक 10.09.2020. तक भरा गया है, लेकिन शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से किसी कारणवश सूचीकरण के मद में निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा नहीं किया गया है, तो निर्धारित शुल्क **(विलम्ब शुल्क के साथ)** दिनांक 17.09.2020 तक की अवधि में अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

8. विशेष रूप से अंकनीय है कि राज्य में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के द्वारा विस्तृत दिशा–निदेश निर्गत किये गये हैं, जिससे सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान अवगत हैं। इस परिदृश्य में उपर्युक्त कार्य के दरम्यान सभी शिक्षण संस्थानों में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए छात्र/छात्रा द्वारा भरे गये सूचीकरण आवेदनों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में काउन्टर लगाये जायें, जिसमें सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कठोरतापूर्वक सुनिश्चित किया जाय। आवेदन पत्र जमा करने के लिए उपस्थित होने वाले छात्र/छात्राएँ पर्याप्त आपसी दूरी पर पंक्तिबद्ध रहकर फॉर्म जमा करेंगे। प्रत्येक काउन्टर पर सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी। शिक्षण संस्थान के प्रधान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन पत्रों को जमा कराने के क्रम में अनावश्यक भीड़ न हो तथा उपस्थित छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक यत्र–तत्र न थूकें एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए पूरे अनुशासित तरीके से अपने–अपने आवेदनों को निर्दिष्ट काउन्टरों पर जमा करें।

ऑनलाइन सूचीकरण आवेदन भरने एवं शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्पलाइन नं0–0612–2230039, 2235161 पर सूचित कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

10.9.20

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : BSEB/(SS)/KEN/...929.../2020 पटना, दिनांक : ...10... / ...09... / 2020

प्रतिलिपि :
1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. प्रोजेक्ट मैनेजर, केल्ट्रॉन प्रा0 लि0 को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार सूचीकरण आवेदन भरने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित अवधि के बाद भी निर्धारित शुल्क जमा करने हेतु पोर्टल खुला रखा जायेगा।
4. मुख्य प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद्, बुद्धमार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित अवधि के बाद भी निर्धारित शुल्क सूचीकरण/अनुमति तथा परीक्षा आवेदन के लिए) जमा करने हेतु पोर्टल खुला रखा जायेगा।
5. उप निदेशक, आई0टी0/सिस्टम एनालिस्ट (उ0मा0) को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि अपने निगरानी एवं पर्यवेक्षण में उक्त के आलोक में आवश्यक व्यवस्था कराना सुनिश्चित की जाय तथा इसका निरंतर अनुश्रवण की जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित अवधि के बाद भी केवल निर्धारित शुल्क (सूचीकरण/अनुमति के मद में) जमा करने हेतु पोर्टल खुला रखा जायेगा।
6. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी, निदेशक, आई0टी0 तथा परीक्षा नियंत्रक (मा०) को सूचनार्थ प्रेषित।

10.9.20

परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।